



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092026-276263
CG-DL-E-16092026-276263

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4905]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 16, 2026/भाद्र 25, 1948

No. 4905]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 2026/BHADRA 25, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2026

का.आ. 5096(अ).— पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50)(इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य में मैसर्स गेल (इण्डिया) लिमिटेड की विजयपुर-बीना स्पर पाइप लाइन के लिए पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत श्री विकास कुमार आनंद, संयुक्त कलेक्टर, अशोक नगर, मध्य प्रदेश को अतिरिक्त प्रभार के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना इसके जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. एल-14014/71/2018-GP-II (E-41635)]

राजन कुमार साव, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th September, 2026

S.O. 5096(E).— In pursuance of clause (a) of section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Shri Vikash Kumar Anand, Joint Collector, Ashok Nagar, Madhya Pradesh, to perform the functions of Competent Authority on additional charge basis under the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 for Vijaipur–Bina Spur Line of M/s. GAIL (India) Limited in the state of Madhya Pradesh.

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/71/2018-GP-II (E-41635)]

RAJAN KUMAR SHAW, Under Secy.